न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र :– 08/2022

इन

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र :– 08/2021

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

ढगलाराम प्रेमाराम वगैराह

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेस्टोरेशन सपठित धारा 151 सी॰पी॰सी॰

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट

आदेश **दिनांक :–** 6/2/2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत किया था, जो प्रार्थना पत्र अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया, जिसका रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 11.04.2022 को प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ रहे जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। उक्त दिनांक को अधिवक्ता प्रार्थी की अनुपस्थिति की माकूल वजह है, प्रार्थी भी उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही हुई। प्रक्रिया कानून न्याय दिलाने में साधक है बाधक नही, किसी भी पक्षकार को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित नही किया जा सकता, कानून की भी यही मंशा है कि किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे न कि तकनीकी आधार पर न्याय किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय को जो आदेश पारित किया गया है उसे रिकॉल करते हुए उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी को जानकारी होते ही प्रार्थी ने दिनांक 06.06.2022 को नकल प्रमाणित प्राप्त कर पुनः रेस्टोरेन्ट का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहा लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता स्वयं के चाचा का लड़का का देहान्त होने के बाद उसके कारोबार हैदराबाद होने से वहा जाना पड़ा इसलिए वहा से आने के बाद अधिवक्ता स्वयं का एक्सीडेन्ट हो जाने की वजह से प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी हो गयी। जिसका म्याद का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। इसी प्रकार प्रार्थी अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इसे स्वीकार फरमाया जावे व प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 11.04.2022 को जो आदेश

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पारित किया गया है उसे रिकॉल करते हुए उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जवाब मय प्राथमिक आपतियॉ पेश किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया, जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही होने पर अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया गया। जिसको रेस्टोर करवाने के लिए प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 08/2021 माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसे भी माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.04.2022 द्वारा प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही होने पर प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया गया। खारिज रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को पुनः रेस्टोर करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जबकि धारा 104 सी.पी.सी., आदेश 43 नियम 1 (सी) सी.पी.सी. व धारा 225 आर.टी.एक्ट में वर्णित प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थी की ओर से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं द्वारा पेश नही किया गया, अपितु अधिवक्ता अमरसिंह चौधरी द्वारा पेश किया गया है तथा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है अपितु अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा संलग्न शपथ पत्र पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है अपितु अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा देरी क्षमा किये जाने के सम्बंध में पेश प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न शपथ पत्र पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है अपितु अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। जबकि राजस्थान कोर्ट मेन्यूल 1956 वाल्यम (2) के नियम 33 के अनुसार रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न शपथ पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होने बाबत् आज्ञापक प्रावधान है। इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 (ञ) व धारा 3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार व परिसीमा काल अनुसूची के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध अपील पेश किये जाने की परिसीमा 30 दिन है जो कि आदेश की तारीख से है। जबकि प्रार्थी द्वारा आज दिन तक उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश नही की है तथा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी आदेश दिनांक 11.04.2022 से 130 दिन बाद पेश किया गया तथा जानकारी तिथि दिनांक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

07.06.2022 से 75 दिन बाद पेश किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 11.04.2022 से भी व जानकारी तिथि से भी म्याद बाहर है तथा देरी क्षमा के सम्बंध में प्रार्थी की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही किया है। देरी क्षमा के सम्बंध में जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया है उसमें भी आदेश दिनांक 11.04.2022 से जानकारी तिथि 07.06.2022 के मध्य देरी अवधि 53 दिन के सम्बंध में हुई देरी के सम्बंध में कोई कारण अंकित नही किया है। इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में पेश रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा मात्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के आधार पर खारिज नही किया, अपितु प्रार्थी की अनुपस्थिति के आधार पर भी खारिज किया है। उक्त पद में अधिवक्ता द्वारा अपनी अनुपस्थिति का कारण लिखा है परन्तु प्रार्थी की अनुपस्थिति का कोई कारण नही लिखा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 11.04.2022 द्वारा खारिज किये जाने में किसी प्रकार की विधिक व तथ्यात्मक भूल नही की है। न्याय जागरूक व्यक्तियों के लिए न की सोने वाले व्यक्तियों के लिए है तथा आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध पुनः रेस्टोरेशन का प्रावधान नही है, अपितु अपील का प्रावधान है तथा प्रार्थी द्वारा आज दिन तक आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध अपील पेश नही की है। जब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.04.2022 को खारिज नही किया जाता तब तक माननीय न्यायालय को आदेश दिनांक 11.04.2022 को रिकॉल करने व प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर प्रभावित आदेश पारित करने का कानूनन क्षेत्राधिकार नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि जब प्रार्थी को आदेश दिनांक 11.04.2022 की जानकारी उक्त पद में वर्णित स्वीकारोक्ति के अनुसार दिनांक 06.06.2022 को हो गयी तो उस स्थिति में प्रार्थी के अधिवक्ता अपने अन्य निजी कार्य में व्यस्त होने से प्रार्थी अन्य अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त कर आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकता था। परन्तु प्रार्थी ने आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध कोई अपील पेश नही की तथा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया अपितु अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। जो क्षेत्राधिकार के बाहर व म्याद बाहर पेश किया गया तथा देरी क्षमा के सम्बंध में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया वो भी अधिवक्ता द्वारा पेश किया

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गया न कि प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक आपतियॉ पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं द्वारा पेश नही किया गया, अपितु अधिवक्ता अमरसिंह चौधरी द्वारा पेश किया गया है तथा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है अपितु अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा संलग्न शपथ पत्र पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है अपितु अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा देरी क्षमा किये जाने के सम्बंध में पेश प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न शपथ पत्र पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है अपितु अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा दोनो प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के सम्बंध में प्रार्थी ढगलाराम द्वारा अधिवक्ता अमरसिंह चौधरी को पैरवी हेतु नियुक्त किये जाने के सम्बंध मे वकालतनामा भी पेश नही है। जबकि राजस्थान कोर्ट मेन्यूल 1956 वाल्यम (2) के नियम 33 के अनुसार रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न शपथ पत्र व धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न शपथ पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होने बाबत् आज्ञापक प्रावधान है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अमरसिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किये जाते है।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 6/2/2025 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा